रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2016/ज्येष्ठ 27, 1938
No. 421] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2016/JYAISTHA 27, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

सा.का.नि. 609 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्रीड़ा क्षति केंद्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (भौतिक चिकित्साविद्), (समूह 'ख') पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्रीड़ा क्षति केंद्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भौतिक चिकित्साविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्रीड़ा क्षति केंद्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भौतिक चिकित्साविद्, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. भौतिक चिकित्साविद् (क्रीड़ा क्षति केंद्र)	*12 (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनानुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.।	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक चिकित्सा या संस्थान से भौतिक चिकित्सा विज्ञान में बैचलर डिग्री; और (ii) कम से कम 100 बिस्तर वाले किसी सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में भौतिक चिकित्सा विज्ञान में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो। **वांछनीय:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक चिकित्सा विज्ञान में, मास्टर डिग्री। **टिप्पण 1-** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार/ के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
8	9	10
लागू नहीं होता	दो वर्ष	लागू नहीं होता। **सीधी भर्ती द्वारा:** **टिप्पण 1**: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। :-

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष 2. निदेशक, क्रीड़ा क्षति केंद्र, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य 3. ज्येष्ठ विशेषज्ञ, प्रधान (यूनिट-II) क्रीड़ा क्षति केंद्र -सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग का भार साधक, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, -सदस्य नई दिल्ली	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. जैड-28015/29/2014-एच]

संजय पंत अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2016

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Ministry of Health and Family Welfare Sports Injury Centre, Safdarjung Hospital, New Delhi (Physiotherapist), (Group 'B') posts, Recruitment Rules, 2013, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist in the Ministry of Health and Family Welfare Sports Injury Centre, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Sports Injury Centre, Safdarjung Hospital, New Delhi, Physiotherapist, Group 'B' post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. –** The number of the post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.–** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Physiotherapist (Sports Injury Centre).	12* (2016) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, non-Gazetted, non-Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Up to 30 years. (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	**Essential:-** (i) Bachelor's Degree in Physiotherapy from a recognized University or Institute; and (ii) two years practical experience in Physiotherapy in a Government Hospital or Private Hospital with at least 100 beds. **Desirable:** Master Degree of Physiotherapy from a recognized university/Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central Government, - (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its co	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Promotion Committee for confirmation comprising of : -** Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital. —Chairman Director, Sports Injury Centre, Safdarjung Hospital. —Member Senior Specialist, Head (Unit II), Sports Injury Centre. —Member Deputy Director Administration, in-charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services, New Delhi. —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. Z-28015/29/2014-H]

SANJAY PANT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.